**झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में**

**सी0एम0पी0 संख्या–384 / 2019**

1. कुसुमी देवी
2. खगेश्वर मंडल
3. केशव मंडल
4. फुलेश्वर मंडल उफ प्रफुल्ल कुमार ..... याचिकाकर्तागण

बनाम

झारखण्ड राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, झारखंड राज्य के माध्यम से एवं अन्य

..... विपक्षीगण

**कोरमः** **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री विशाल कुमार तिवारी, अधिवक्ता

विपक्षी पार्टी–राज्य के लिए : एस0सी0 (एल एंड सी)–I के ए0सी0

**03 / 12.10.2019** आई0ए0 सं0 7711 / 2019 के माध्यम से इस याचिका को दाखिल करने में हुई 105 दिनों के विलंब की माफी के लिए प्रार्थना पर याचिकाकर्ताओं और राज्य के लिए विद्वान वकील के मूल पुनःस्थापन याचिका में की गई प्रार्थना के गुण–दोष को सुना।

2. इस याचिका के द्वारा एक अन्य पुनःस्थापन याचिका सी0एम0पी0 सं0 101 / 2017 की पुनःस्थापन की प्रार्थना की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता 15.12.2018 को

न्यायालय द्वारा दिए गए अनुल्लंघनीय समय के भीतर शेष त्रुटि संख्या 6 को दूर करने में विफल रहने के कारण इसे खारिज कर दिया गया। विलंब को इस प्रकथन के साथ समझाने की कोशिश की जाती है कि वर्तमान मामले को एक नए वकील के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है जब याचिकाकर्ताओं को उनकी पिछली पुनर्बहाली याचिका के खारिज होने के बारे में पता चला। याचियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि डब्ल्यू0पी0सी0 सं0 1189/2013 के तहत मुख्य मामला आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय के द्वारा स्वत्व अपील सं0 1/1989–90 में पारित आदेश की चुनौती से संबंधित है, जिसके तहत विद्वान बंदोबस्त न्यायालय के निर्णय और डिक्री की पुष्टि की गई है, जो बंटवारा डिक्री की प्रकृति में है। याचिकाकर्ताओं और अन्य पक्षों के मूल्यवान अधिकार रिट याचिका में शामिल हैं। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि न्यायालय ने रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 5 से 48 पर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अनुल्लंघनीय समय के भीतर अपेक्षिताएं दाखिल करने में विफल रहने के कारण, रिट याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं थी, हालांकि अगर इसमें की गई प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जाती है तो उन्हें अपूरणीय रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा।

3. राज्य के विद्वान वकील ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है और उन्हें प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. संबंधित रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि सी0एम0पी0 संख्या 101/2017 को त्रुटियों को दूर करने के क्रम में खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं

और राज्य के विद्वान वकील के आग्रह और प्रस्तुतियों से संतुष्ट होने पर, इस याचिका को दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर दिया जाता है। आई0ए0 का निपटारा कर दिया गया है। इसके अलावा, न्याय के हित में, सी0एम0पी0 सं0 101/2017 को भी अपनी मूल फाइल में बहाल कर दिया गया है, बशर्ते दो सप्ताह की अवधि के भीतर झालसा में 5,000/– (पांच हजार) रूपये की लागत के भुगतान और उसी दरम्यान उसकी प्राप्ति रजिस्ट्री में दाखिल की जानी चाहिए।

5. सी0एम0पी0 का निपटारा कर दिया गया है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)